समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 22-12-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

2-अनुपस्थित पदाधिकारी

बैठक से निम्नांकित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये, फलस्वरुप अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	अनुपस्थिति का कारण
1	जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा	विधि-व्यवस्था कार्य में प्रतिनियुक्त
2	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा	आकस्मिक अवकाश में
3	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये थे।
4	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
5	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
6	कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
7	कार्य0अभि0,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा	विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये थे।
8	अनुज्ञापन पदा0, मधेपुरा/ सहरसा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
9	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
10	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
11	जिला समादेष्टा, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
12	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
13	जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
14	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, स्थापना, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
15	वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।
16	कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम लि0, सहरसा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
17	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना, मधेपुरा	प्रमण्डलीय बैठक में भाग लेने हेतु सहरसा गये थे।
18	निरीक्षक, माप एवं तौल, मधेपुरा	बिना किसी सूचना के अनुपस्थित।

3-कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4-शिक्षा

❖ **<u>छात्रवृति, पोशाक, साईकिल एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण</u>** :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 22-12-2014 से 05-01-2015 तक आयोजित राज्य समारोह अन्तर्गत सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा (सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालयों में प्री-मैट्रिक छात्रवृति, पोशाक, साईकिल एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण विद्यालय स्तर पर शिविर आयोजित कर, किया जायेगा। शिक्षा विभागीय ज्ञापांक-681, दिनांक-01-12-2014 के अनुसार कुल-10 योजनाओं के लिए योजनावार पात्रता की शर्त्ते तथा लाभ

के रूप में देय राशि का वितरण कार्यक्रम तिथिवार /पंचायतवार /प्रखंडवार तैयार कर जिला संयुक्त प्रतिनियुक्ति आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें जोनल दण्डाधिकारी के अधीन सम्पूर्ण पंचायत के लिए दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति प्रत्येक प्रखंड के लिए की गयी है, जो अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए विधि व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। बताया गया कि वितरण कार्यक्रम का विडियोग्राफी कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वितरण शिविरों के सभी प्रखण्डों के चयनित Photographs जिला की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा (NIC) को उपलब्ध करायी जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक विद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में एक बड़ी राशि का नकद वितरण होगा, इसके लिए स्थानीय बैंक शाखाओं में नगद राशि का भंडारण तथा उसे विद्यालय तक लाकर वितरित करने के दौरान सुरक्षा आवश्यक होगी, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को आवश्यक सुरक्षा मुहैय्या कराना का निदेश दिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र में छात्रवृत्ति वितरण के दौरान भ्रमणशील रहेंगे। जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा समन्वय करेगे एवं प्रखण्ड स्तर पर संबंधित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक प्रतिदिन आवश्यक राशि की उपलब्धता के संबंध में अपने-अपने बैंक के प्रबंधक से एक दिन पूर्व सम्पर्क कर लेंगे, ताकि वितरण कैम्प में आवश्यक राशि ससमय उपलब्ध रहे। राशि की उपलब्धता नहीं रहने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से सभी संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधकों को निदेशित किया जाए कि बैंक द्वारा आवश्यक राशि पूर्वा0 09:00 बजे तक नियमानुसार निकासी करवा कर संबंधित प्रधानाध्यापक को सुपूर्द करवा दिया जाए, ताकि राशि के आभाव में वितरण कार्यक्रम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। यह भी अनुरोध किया गया कि राशि का पूर्व से ही आकलन कर पर्याप्त राशि बैंक में रखी जाए, राशि की कमी नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।

➢ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि **जिला नियंत्रण कक्ष** की स्थापना आपके कार्यालय की **दूरभाष संख्या-06476-222895** पर की गई है, जो 08:00 बजे पूर्वाह्न से 08:00 बजे रात्रि तक कार्यरत रहेगा। निदेश दिया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष मे प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ कर्मचारी एक पंजी संधारित करेंगे, जिसमें विधि-व्यवस्था से महत्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित करेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को शीघ्र देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति रोस्टर बनाकर करेंगे। साथ ही नियंत्रण कक्ष को जिले में अवस्थित सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापक /प्रधान शिक्षक, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों का मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर सर्वप्रथम संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य /प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /थानाध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। साथ ही अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा, जो शिक्षा विभाग के वरीय नोडल पदाधिकारी है, से अनुरोध किया गया कि उक्त कार्यक्रम के सफल संचालनार्थ हर संभवतः प्रयास किए जाए, किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।

➢ जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वितरण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए।

➢ इसके साथ-साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शिक्षा विभाग अन्तर्गत बहाली का भी रोस्टर तैयार कर अविलम्ब उपलब्ध करावें, ताकि नियोजन की कार्रवाई की जा सके।

❖ <u>अल्पसंख्यक छात्रवृति</u> :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2572, दिनांक- 16-12-2014 द्वारा अल्पसंख्यक छात्राओं को पूर्व मैट्रिक (कक्षा-1 से 10) की छात्रवृति शिक्षा विभाग से शत प्रतिशत आच्छादन के आधार पर करने का निदेश दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा/ सभी संबंधित पदा0)

5-ईट भट्ठा की जांच

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायत मिल रही है कि मधेपुरा शहर क्षेत्र में विभिन्न ईट भट्ठा पर बाल मजदूरों से कार्य लिया जा रहा है तथा ईट भट्ठा मालिकों द्वारा आयकर संबंधी राशि ससमय नहीं जमा की जा रही है, जो खेद का विषय है। बैठक में उपस्थित जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा श्री विकास पाण्डेय, वाणिज्यकर पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संयुक्त रूप से ईट भट्ठों की जांच-पड़ताल की जाए तथा दोषी पाये जाने पर नियमानुसार विधि-सम्मत् कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा, जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा उपायुक्त, वाणिज्यकर आयुक्त, मधेपुरा)

6-बसों का ओभर लोडिंग

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 20-12-2014 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के उदाकिशुनगंज में निर्धारित कार्यक्रम के निमित्त जाने के क्रम में अधोहस्ताक्षारी द्वारा देखा गया कि एक बस, जो काफी यात्रियों को बस के छत के ऊपर ओभर लोडिंग कर परिचालन किया जा रहा था। पुनः उदाकिशुनगंज से कार्यालय आने के पश्चात् समाहरणालय मुख्य गेट के पास लगे सी0सी0टी0भी0 कैमरा में रिकोर्ड किए गए फुटेज को देखने से पता चला कि उक्त बस मुन्ना ट्रेभलस का है, जिसके विरूद्ध बाद में नियमानुसार जुर्माना भी जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा लगाया गया। जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि महाप्रबंधक उद्योग केन्द्र भवन के ऊपर एक सी0सी0टी0भी0 कैमरा अधिष्ठापित किया जाए, ताकि सहरसा की ओर आने-जाने वाली बसों के नम्बर का पता चल सके। जिला नजारत उप समाहर्त्ता को यह भी निदेशित किया गया कि गृह विभाग, बिहार, पटना को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र भेज कर स्वीकृति प्राप्त किया जाए, ताकि मुख्य-मुख्य चौक /चौराहों पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाया जा सके और असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गतिविधियों पर नजर रखा जा सके एवं किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न होने से रोका जा सके।

(अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /उपायुक्त, वाणिज्यकर आयुक्त, मधेपुरा)

7-परिवहन

➢ जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित साप्ताहिक बैठक में दिए गए निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि मधेपुरा-सहरसा, मधेपुरा-सिंहेश्वर, मधेपुरा-कुमारखंड, मधेपुरा-उदाकिशुनगंज मार्गो पर कहीं भी पथ निर्माण विभाग /राष्ट्रीय पथ विभाग द्वारा <u>रोड संकेतक</u> नहीं लगाया गया है। मात्र सर्किट हाउस मोड़ एवं गणेश स्थान में रोड संकेतक जांच के क्रम में मिला है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल तथा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल,

मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जहां-जहां रोड साईनेज नहीं लगा है, वैसे स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार रोड साईनेज लगाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही रोड साईनेज रेडियम पेंट का हो, ताकि कुहासा एवं अंधेरे में भी पता चल सके, इसे सुनिश्चित किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी जांच-पड़ताल कर रोड साईनेज लगाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

➢ साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को यह निदेशित किया गया कि बस स्टैण्ड पर संबंधित बस चालकों द्वारा रसीद, जिस पर बस का नाम, निर्धारित भाड़ा आदि से संबंधित विवरणी अंकित कर नहीं दिया जा रहा है, को सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि इस संबंध में पूर्व में कई बार निदेशित भी किया जा चुका है, किन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वे भी अपने स्तर से इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा/कार्य0अभि0, पथ /राष्ट्रीय उच्च पथ)

8-भवन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि पुराने कोर्ट परिसर के नीलाम किए गए भवन में कीमती लकड़ी लगी हुई है, जिसकी कीमत नीलाम की राशि से कहीं ज्यादा है तथा नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता न बरतते हुए बहुत कम कीमत में इसकी नीलामी कर दी गयी है। नीलामी में अधिकतम डाक वक्ता द्वारा भवन में लगी गयी हुई कीमती लकड़ियों को उखाड़कर ले जाया जा रहा है। समाचार पत्रों में भी इससे संबंधित खबरे प्रकाशित हो रही है, जिसमें कम कीमत में ही भवन के नीलामी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि भवन की दीवारें काफी चौड़ी तथा ईंटों की स्थिति भी अच्छी है। भवन की नीलामी से ज्यादा राशि की उगाही की जा सकती थी। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में जांच-पड़ताल कर कार्रवाई करें, यदि लकड़ी काट कर ले जाया गया है, तो उसको प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- कार्य0अभि0, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा)

9-सांसद आदर्श ग्राम योजना

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बालम गढ़िया ग्राम पंचायत के सभी 14 वार्ड पदाधिकारियों के बीच एक-एक वार्ड आवंटित किया गया है तथा निदेशित किया गया है कि अपने-अपने वार्ड के साथ-साथ सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए भी अपने-अपने विभाग की योजनाओं का कार्यान्वयन /अनुश्रवण कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध करावें, किन्तु कुछ पदाधिकारियों द्वारा ही निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, शेष पदाधिकारियों से वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। विभागवार समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

(क) कृषि विभाग - जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा किया गया कि उनके विभाग अन्तर्गत उक्त ग्राम पंचायत में क्या-क्या कार्रवाई की गयी तथा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए, किन्तु उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका, जिस पर खेद प्रकट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभ से आच्छादन किया जाना है, फलस्वरूप जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत भ्रमण करें तथा कृषि विभाग से संबंधित सभी कार्यो को क्रियान्वयन करावें तथा अनुपालन प्रतिवेदन अगली सोमवारीय बैठक से पूर्व उपलब्ध करावें।

(ख) पशुपालन – जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत सभी पशुओं का टीकाकरण कराया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए।

(ग) पंचायत – जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार कर उसके कार्यान्वित करने का दायित्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी का है, किन्तु उनके द्वारा इस ओर कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में उक्त ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(घ) जनसम्पर्क :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अन्य आदर्श ग्राम पंचायत के विडियो क्लिपिंग आदि प्रेजेन्टेशन के माध्यम से दिखाकर लोगों में जागरूकता लाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए। जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25-12-2014 को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से फिल्म आदि दिखाया जाएगा।

(ड़) जीविका :- बैठक में उपस्थित परियोजना प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जीविका अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में उक्त ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को अवगत कराया जाए तथा उसके लाभ से संबंधित विस्तृत जानकारी दिया जाए।

(च) शिक्षा :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहे, इसके लिए साक्षरता अभियान अन्तर्गत सभी लोगों को साक्षर बनाया जाए।

(छ) भू-अर्जन :- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जमीन संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(ज) आई0सी0डी0एस0 :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत पोषाहार राशि के वितरण, धातृ /गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ आदि से संबंधित बिन्दुओं की गहनता से जांच-पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(झ) कल्याण :- जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि छात्रवृति से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(ट) पी0एच0ई0डी0 :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त ग्राम पंचायत में शौचालय की घोर कमी है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु संसूचित किया गया था। कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत शौचालय निर्माण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करें तथा अगली बैठक में अनुपालन से अवगत करायेंगे।

(ठ) पी0एम0जी0एस0वाई0 :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्घाटन माननीय विधायक महोदय के स्तर से करा दिया गया, जबकि माननीय सांसद महोदय से उद्घाटन किये जाने का प्रावधान है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में नहीं हो, इसे सुनिश्चित करेंगे।

(ड) स्वास्थ्य :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत स्वास्थ्य उप केन्द्र के संबंध में वांछित प्रगति अभी तक नहीं हुई है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया

जाता है कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने वार्ड तथा सम्पूर्ण ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराया जाए तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा अलग से किसी एक दिन की जाएगी, इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी उक्त ग्राम पंचायत का निरीक्षण कर अपने-अपने विभाग से संबंधित कार्यो का निष्पादन करते हुए अभी से ही तैयार कर लिया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदा0)

10-कृषि भवन

➢ जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि शंकरपुर एवं कुमारखंड प्रखंड का कृषि भवन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है और न ही भवन हस्तांतरण किया गया है, जबकि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को उक्त भवन के निर्माण हेतु सम्पूर्ण राशि विमुक्त कर दी गयी है। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त भवन को अविलम्ब पूर्ण कराते हुए नियमानुसार हस्तांतरण करावें।

(अनुपालन- जिला कृषि पदा0)

11-अनुपालन

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विगत बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में मात्र प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा द्वारा ही कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अच्छी बात है। बताया गया कि बैठक में विभिन्न विभागों को विभिन्न बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन से अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है, किन्तु इस संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेदजनक स्थिति है। पुनः सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि बैठक में जो भी निदेश दिए जाते हैं, उसका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रत्येक शनिवार की संध्या तक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

➢ समीक्षा के क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि ठंड का मौसम बढ़ गया है, फलस्वरुप दो दिनों के अन्दर नियमानुसार कम्बल क्रय किया जाए, ताकि गरीब /भिखारी /निःसहाय व्यक्तियों को वितरण किया जा सके।

(अनुपालन- सभी संबंधित पदा0)

12-सर्वशिक्षा अभियान

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक-8335, दिनांक-12-12-2014 द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शिक्षा

का अधिकार कार्यक्रम एक फ्लैगशीप कार्यक्रम है एवं इसका समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाने संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पत्र में वर्णित निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, जो शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी हैं, से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक–8257, दिनांक–10–12–2014 द्वारा सभी निर्माणाधीन /पूर्ण शौचालयों का फोटोग्राफ वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराने संबंधी निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन– जिला कार्यक्रम पद0, सर्वशिक्षा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

13–पंचायत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9822, दिनांक–15–12–2014 द्वारा बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना की तैयारी के संबंध में निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय निर्देश के आलोक में बी0आर0जी0एफ0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी वांछित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– जिला पंचायत पद0, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त)

14–सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अर्द्धसरकारी पत्रांक–2757, दिनांक–12–12–2014 द्वारा 19वीं पशुगणना–2012 एवं ब्रीड सर्वे का कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि इस संबंध में कुल–11 स्मार पत्र प्राप्त हुए है, जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि घैलाढ़ एवं शंकरपुर प्रखंड द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया है, जिस कारण विभाग को भेजने में कठिनाई हो रही है। प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा की सहयोग से इस संबंध में कार्रवाई करें तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब विभाग को भेजते हुए अगली सोमवारीय बैठक में अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन– प्रभारी पदा0, सामान्य /जिला पशुपालन पदा0, मधेपुरा)

15–आपूर्ति

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9617, दिनांक–17–12–2014 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाने के संबंध में निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति

पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता फोरम में कार्यरत कर्मियों को कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी -सह- सचिव, उपभोक्ता फोरम को वेतन निकासी का अधिकार देने संबंधी निदेश दिया गया।

- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक-12829, दिनांक-18-12-2014 द्वारा मुख्य परिवहन अभिकर्त्ताओं एवं डोर स्टेप डिलेवरी के परिवहन अभिकर्त्ताओं के तैयार होने वाले पैनलों से एकरारनामा कर कार्य लेने संबंधी निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।
- जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि संयुक्त सचिव (मार्केटिंग), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18-12-2014 को ई-मेल के माध्यम से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें ''पहल'' कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- साथ ही वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग), मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा सभी बैंकर्स को अपने स्तर से इस संबंध में पत्राचार किया जाए।

(अनुपालन- जिला आपूर्ति पद0/जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 /जिला परिवहन पदा0/ वरीय उप समाहर्त्ता, बैंकिंग, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

16-विकास

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना के पत्रांक-1161, दिनांक-16-12-2014 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के गतिविधियों को साझा करने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित My Gov Platform के उपयोग के संबंध में निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में विभागीय निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त /कार्य0अभि0,पी0एच0ई0डी0)

17-उत्पाद

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के प्रधान सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 3686, दिनांक-12-12-2014 द्वारा दिनांक 31-12-2014 तक सैचेट में आपूरित किये गये देशी शराब को 15-01-2015 तक खुदरा बिक्री की अनुमति दिए जाने संबंधी दिशा-निर्देश दिया गया है। अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)

18-राईट-अप

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्रम अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है, परन्तु अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा बैठक में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त **राईट-अप** अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

19-अन्यान्य

→ **सम्पर्क सड़क :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि साहुगढ़ रोड में सम्पर्क सड़क से संबंधित मामला लंबित है, जिसका निष्पादन अविलम्ब किया जाए। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, किन्तु राशि के भुगतान नहीं होने के कारण कार्य लंबित है, साथ ही वंशावली कागजात की भी आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

→ **कोषागार :-** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्टाम्प भेंडर के एडेसिव एवं ननऐडेसिव की अनुज्ञप्ति दी जाती है, किन्तु किस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दिया जाना है, की छान-बीन कर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निदेश कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

→ **अल्पसंख्यक छात्रावास :-** जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास को खाली करा दिया गया है, किन्तु कार्य धीमी गति से किया जा रहा है, जिस कारण छात्रावास में रह रहे छात्रों को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जबकि एक माह के लिए ही खाली कराया गया है। उनके द्वारा छात्रावास का सम्पूर्ण कार्य एक ही माह में पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया। यह भी बताया गया कि उक्त छात्रावास में पुराने पाईप का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा छात्रों द्वारा कमरे में बल्ब तथा स्वीच की कमी बतायी गई है, जिस कारण पर्याप्त रौशनी नहीं हो पाती है, फलस्वरूप छात्रों को पढ़ाई करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त छात्रावास के कार्यो का सम्पादन एक माह के अन्दर पूर्ण करा लिया जाए। साथ ही कार्य गुणवत्ता के अनुरुप हो, इसे सुनिश्चित किया जाए।

→ **इनडोर स्टेडियम :-** कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इनडोर स्टेडियम के निर्माण संबंधी प्राक्कलन तैयार कर अविलम्ब उपस्थापित किया जाए, ताकि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

→ दिनांक 16-12-2014 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में छपी खबर 'स्टेडियम के आगे बनेगा धरनास्थल'' के आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला भू-अर्जन पदा0 /कोषागार पदा0 /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0 /जिला कल्याण पदाधिकारी /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल /प्रभारी पदा0, सामान्य)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

23/12/14 23/12/14 23/12/14

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा,	जिला गोपनीय शाखा,	मधेपुरा।
मधेपुरा।	मधेपुरा	

Khalid 23/12/14 C. operator

ज्ञापांक 3422/गो0, मधेपुरा, दिनांक 24/12/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/12/14	23/12/14	23/12/14
निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	जिलाधिकारी मधेपुरा।

Khalid 23/12/14 C.operator